188

न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०– m–41 / 2019

धारा–107 द०प्र०सं०

कोरलोन्दा देवी बनाम कान्तो पुरान

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	अभिलेख सं0–एम 41 / 2019 में द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत थाना प्रभारी तमाड के अप्राथमिकी सं०–15/19 दिनांक–16-05-19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि तमाड थाना कां०सं०- 05/19 दिनांक 27-1-19 धारा 323/324/307 भा०द०वि० के नामजद अभियुक्त के संबंध में विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना है।	
	जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष / विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।	
	अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।	
	अभिलेख तिथि 21/6/19 को उपस्थापित करें।	
	लेखापित एवं संशोधित।	
	04/06/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)।	
	04/06/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)।	

पृष्ठ सं०.................

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
23-03-20 / 06-07-20	अभिलेख उपस्थापित। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद के अभिलेख की कार्यवाही ~~बंद~~ को बन्द किया जाता है।	
	6/7/20 कार्य० दं०प्रा० गुरुआ 6/7/20 कार्य० दं०प्रा० गुरुआ	

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2022.02.12 12:46:24 +05:30
Location: 10.93.79.5